न्यायालय :– उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रायपुर (पाली)
पीठासीन अधिकारी :– श्री राजेश मेवाड़ा आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 05/2022
प्रकरण दर्ज तिथि :– 27.04.2022
जीसीएमएस नम्बर :– 2022/127

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
1. रघुवीरसिंह पुत्र सुजानसिंह जाति रावत निवासी कानुजा		1. लक्ष्मणसिंह पुत्र विरदसिंह 2. रामपाल पुत्र लक्ष्मणसिंह 3. चन्द्रसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह जातिगण रावत निवासीगण कानुजा 4. तहसीलदार रायपुर

प्रार्थना पत्र वास्ते धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं सीमांकन एवं पत्थरगड्डी अन्तर्गत धारा 111,128 आर एल आर एक्ट

उपस्थित : 1. श्री भूपेन्द्र सैन अधिवक्ता प्रार्थी
2 अप्रार्थी अनुपस्थित

निर्णय दिनांक : 27.07.2022

प्रार्थी की ओर से वकील श्री भूपेन्द्र सैन द्वारा वादपत्र धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र धारा 111 व 128 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम विरूद्ध अप्रार्थीगण न्यायालय में पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण यह है कि सरहद मौजा कानुजा तहसील रायपुर जिला पाली मे निम्न वर्णित कृषि भूमि खसरा नम्बर 998/1942 रकबा 1.6187 हैक्टेयर बारानी अव्वल आयी हुई है। जिसकी जमाबन्दी वाद के साथ पेश है जिसे वाद का आवश्यक भाग समझा जावे। वाद मे आगे उक्त कृषि भूमि को वादग्रस्त आराजी से संबोधित किया जायेगा। पद संख्या एक मे वर्णित वादग्रस्त आराजी के दूर प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 व अन्य लोगो की भूमिया भी आयी हुई है। तथा अक्सर सीमा को लेकर वाद विवाद करते चले आ रहे है। वादग्रस्त आराजी पर वादी का कब्जा काष्त चला आ रहा है। ओर किन्तु वादग्रस्त आराजी के अडौसी पडौसी अपने हिस्से से ज्यादा भूमि पर अर्थात् वादी की उक्त वादग्रस्त आराजी पर नाजायज एंव अवैध रूप से कब्जा करना चाहते है और आये दिन सीव व पाल डोल को लेकर वादी से लडाई झगडा करते है। जिस कारण से वादी ने सींमाज्ञान हेतू प्रतिवादी श्रीमान तहसीलदार जी को प्रार्थना पत्र वास्ते कराने हेतू पूर्व मे सीमा ज्ञान विवादग्रस्त आराजियात कृषि भूमि हेतू प्रस्तुत किया जिसकी प्रति वादी के साथ पेश है । जिस पर अप्रार्थी श्रीमान तहसीलदार जी ने उक्त सीमांज्ञान मे किसी प्रकार की कोई प्रोपर रिर्पोट तैयार नही की किसका कहॉ तक हिस्सा है कहॉ तक सीमा है। सीमाज्ञान व पत्थरगढी नही होने से वादी अपनी भूमि को ऊपजाऊ बनाने व अन्य प्रकार से उपयोगी बनाने मे भारी असुविधा हो रही है। तथा सीमाज्ञान व पत्थरगढी को लेकर अडौसी पडौसी भी बार बार विवाद करते है। सीमाज्ञान व पत्थरगढी नही होने से मल्टी प्रोसिडिंग बढेगी ओर वाद विवाद भी बढेगा। ओर वादी को वादग्रस्त आराजी को डवलप करने मे भारी परेशानियो का सामना करना पड रहा है। वादी जब कुछ डवलपमेन्ट के लिये कोई कार्यवाही करता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 व अडौसी पडौसी अडंगा डाल कर वाद विवाद करते है ओर अडौसी पडौसी बार बार सीमा को लेकर विवाद करते आ रहे है

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर (पाली)

उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (पाली)

जबकि उक्त वादग्रस्त भूमि से प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 व अडौसी पडौसीयो को कोई लेना देना नही है वाद विवाद नही बढे ओर वादी अपने विवादग्रस्त आराजी को डवलप कर सके इसलिये वादग्रस्त आराजी की पत्थरगढी कर मौके पर चारो ओर पत्थरगढी करवाया जाना न्यायहित मे आवश्यक है। वादी ने दिनांक 22.03.22 को अपनी उक्त भूमि पर साफ सफाई कर मेढबन्दी करने लगा तो प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 ने आकर वाद विवाद कर दिया, जबकि प्रतिवादी को ऐसा करने का कोई हक अधिकार नही है। वादी की भूमि की पत्थरगढी व सीमाज्ञान नही होने से वादी अपनी भूमि को मिट्टी ऊर्वरक डाल कर या अन्य प्रकार से डवलप करने मे भारी परेशानिया उठानी पड रही है कही वादी उक्त भूमि पर लाखो रूपये खर्च करे ओर अडौसी पडौसी विवाद करे तो भी प्रार्थी को भारी नुकसान होगा ओर वाद विवाद बढेगा इसलिये पत्थर गढी हो जाने से किसी प्रकार की मल्टी प्रोसिडिंग नही बढेगी इसलिये वादी को अपने हितो व अधिकारो की सुरक्षा हेतू प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता हुई। वादी को अधिकार है कि वह अपनी आराजी कृषि भूमि पर पत्थर गढी करवा अपनी सीमा पर मैड , पाल बनवाकर अपनी आराजियात का सही ढंग से कब्जा काश्त कर सके जिससे प्रतिवादीगण या अन्य अडौसी पडौसी के हित एंव अधिकारो पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नही पडेगा। अप्रार्थी श्रीमान तहसीलदार जी प्रार्थी की आराजी कृशि भूमि के राज्य सरकार के लैण्ड हॉल्डर होने से मौजुदा प्रार्थना पत्र मे पक्षकार बना कर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी अपने हिस्से की तक पत्थर गढी करवाकर अनुतोष चाहता है। उपरोक्त परिस्थितियो मे वादी के हक मे तथा प्रतिवादी 1 से 3 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायहित मे आवश्यक है अन्यथा उक्त प्रतिवादी ,वादी के उक्त कब्जा काष्त सुदा खातेदारी सुदा भूमि से बेदखल कर देंगे , वादी उक्त कब्जा काश्तसुदा खातेदारी सुदा वादग्रस्त आराजी से वंचित रह जायेगे,जिससे वादी को पैसा व रूपयो मे न आके जाने वाली असहनीय अपूर्णीय क्षति होगी। इसलिये वादी के पास न्यायालय की शरण के अलावा अन्य कोई विकल्प पेश नही होने से वादी अपने हितो व अधिकारो की सुरक्षा हेतू यह वाद स्थाई निषेधाज्ञा व आज्ञापक निषेधाज्ञा का माननीय न्यायालय मे विरूद्ध प्रतिवादी के प्रस्तुत है। अप्रार्थी श्रीमान तहसीलदार जी राजस्थान सरकार के अधिकारी है। जिनके विरूद्ध वाद प्रस्तुती से पूर्व धारा 80 सी.पी.सी का नोटिस आवश्यक है। लेकिन नोटिस देने व इसकि अवधि समाप्ति होने तक वादी को अपने भूमि को डवलपमेन्ट करने मे भारी परेशानियो का सामना करना पड रहा है, वह वादी की उक्त भूमि पर अडौसी पडौसी अवैध अतिक्रमण कर देगे । जिससे वादी को असीम क्षति भारी नुकसान होगा। प्रार्थी अपने हितो व अधिकारो से वंचित हो जायेगे। इसलिये वाद आवश्यक प्रकृति को देखते हुये बिना नोटिस दिये श्रीमान से अनुमति लेकर वाद प्रस्तुत किया जा रहा है। अनुमति प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत है। उक्त वाद कारण उपरोक्त वाद मे वर्णित तथ्यो को देखते हुये इस माननीय न्यायालय के क्षैत्राधिकार मे दिनांक 22.03.22 को उत्पन हुआ ओर उसके बाद दिन बे दिन उत्पन्न होता जा रहा है। डिक्री बहक वादीगण विरूद प्रतिवादीगण इस आश्य कि सादिर फरमाकर स्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमावे कि वाद पत्र के पद संख्या एक मे वर्णित मे वर्णित आराजीयात कृषि भुमि मे वादी के उपयोग उपभोग ,काश्त, व काश्त मुतालिक समस्त कार्य करने मे प्रतिवादीगण किसी प्रकार कि दखलनदांजी व बाधा अडचन पैदा नही करे, और नाही वादी के हिस्से की जमीन से बेदखल आदि नहीं करे और ओर ना ही वादी की वादग्रस्त आरजी की सीमा मे प्रवेश करे ओर ना ही वादी की

उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (पाली)

सीमा सीव ,पाल डोल आदि को क्षतिग्रस्त करे न करावे ,ना ही उसकी सीमा पत्थर गढी को तोड कर उसकी सीमाभंग करे । इसके लिये प्रतिवादीगण स्वंय व उसके मुख्तियार , उसके परिवार के सदस्यगण ,नौकर चाकर , हाली , ऐजेन्ट इत्यादी को हमेशा के वास्ते पाबन्द फरमावें। दौराने दावा किसी प्रकार का भूमि को खुर्द बुर्द परिवर्तित व निर्माण किया जाता है तो जरिये आज्ञापक निशेधाज्ञा के पूर्व की स्थिति बहाल की जावे। दौराने वाद वादग्रस्त आराजीया पर कब्जा कर लिया जाता है तो कब्जा पुनः वादी को दिलाया जावे। तथा पत्थरगढी सींमाकन का आदेश प्रदान करावे। प्रतिवादी संख्या को पाबन्द फरमायाजावे की पद संख्या एक मे वर्णित वादग्रसत आराजी की पत्थर गढी करवाकर मौके पर वादी की भूमि पर पत्थर मुडे रोपे जावे यदि वादी की उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि पर प्रतिवादीगण ने अपने हिस्से से ज्यादा नाजायज कब्जा कर रखा है तो उन्हे प्रतिवादीगण का कब्जा हटा कर कब्जा वादी को दिलाया जावे।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर जरिये नोटिस अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थी संख्या 01,02, 03 के नोटिस तामिल के बावजूद अनुपस्थित रहनें से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई हैं। बहस समायत की गई। बहस, पत्रावली के अवलोकन एवं मनन के पश्चात् प्रार्थी की सरहद मौजा सरहद मौजा कानुजा पटवार मण्डल कानुजा भू अभिलेख निरीक्षक कानुजा में वर्णित खसरा नम्बर 998/1942 रकबा 1.6187 हैक्टेयर बारानी अव्वल के रेकर्डेड खातेदार काश्तकार हैं एंव अपने स्वामित्व की भूमि में पत्थरगढ़ी करवाने का विधिक अधिकारी हैं। अतः प्रार्थी की भूमि का नियमानुसार सीमांकन व पत्थरगढ़ी करवाने हेतु अप्रार्थी भूमिधारी तहसीलदार रायपुर को निर्देशित किया जाना उचित समझते है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र बहक प्रार्थी विरूद्व अप्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा कानुजा पटवार मण्डल कानुजा भू अभिलेख निरीक्षक कानुजा में खसरा नम्बर 998/1942 रकबा 1.6187 हैक्टेयर बारानी अव्वल की उक्त कृषि भूमि में बाद विधिसम्मत प्रकिया अनुसार सीमांकन, पत्थरगड्डी करने के आदेश दिये जाते है। वादी की कब्जे काश्त की भूमि में काश्त के मुतालिक अन्य कार्य में दखलन्दाजी से प्रतिवादीगण उनके नौकर चाकर हाली एजेन्ट सगे संबंधी मित्र अथवा जो कोई भी हो को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाता है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण,खर्चा अपना–अपना वहन करेंगे। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को इस आदेश के साथ प्रेषित की जावें कि उक्त भूमि का सीमांकन शुल्क प्राप्त कर नियमानुसार सीमांकन, पत्थरगड्डी किया जावें एवं मौके पर परिशांति कायम एंव कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु पुलिस इमदाद की आवश्यकता होने पर संबधित पुलिस थाने से सम्पर्क कर पुलिस जाप्ता लेने की व्यवस्था करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(राजेश मेवाड़ा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (पाली)

यह निर्णय आज दिनांक 27.07.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (पाली)